

mRrjk[k.M jk' Vh; vk; qk fe"ku ds vUrxr l dy vks k/kh; i kni Nf' kdj.k
i fj; kstuk gsrq
vkonu dk ik: i %Li'V #i ea Hkjk tk, ½

v- ifj; kstuk i Lrko

1	कृषिकरण परियोजना का नाम	
2	परियोजना अवधि	
2	स्वयं सहायता समूह का नाम	
3	समूह के सम्पर्क व्यक्ति का पूरा डाक पता	
4	दूरभाष / मोबाईल नं०	
5	कृषिकरण के लिए चयनित प्रजाति / प्रजातियाँ	
6	कृषिकरण के लिए उपलब्ध भूमि का ब्यौरा i. क्षेत्रफल (नाली / है० में) ii. तोक / ग्राम का नाम iii. विकास खण्ड iv. जनपद v. कृषिकरण परियोजना स्थल की सड़क मार्ग से दूरी vi. वन प्रभाग का नाम vii. समुद्र तल से ऊँचाई viii. जी०पी०एस० लोकेशन (अक्षांतर एवं देशांतर)	
7	कृषिकरण हेतु बीज / पौध आपूर्ति का स्रोत:-	
8	तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली संस्था का नाम:-	
9	औषधीय पादप क्षेत्र में किए गए कार्य के अनुभव का विवरण %&	
10	स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते का विवरण:	

11	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का नाम, आधार सं० एवं श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य): -				
dz 0l a 0	Lo; a l gk; rk l ew ds l nL; ka ds uke	firk@ifr dk uke o irk	vk/kkj l a; k	Ekkckby u0	Js kh ¼l kekl; @vuq fip r tkfr @vuq fipr tutkfr@vll; ½
1					
2					

c- fe"ku ds vllrxr Nfkdj.k grq l dy foRrh; vko"; drk dk foqj.k%&

1	मिशन के अन्तर्गत मांगी गई वित्तीय सहायता (रु० में)	
2	स्वयं के स्रोत की धनराशि (रु० में)	
dy ifj; kstuk ykxr ¼#0 e½		

l - df'kdj.k iLrko grq l af/kr nLrkost ftl s Lo; a l gk; rk l ew }kjk iLrq fd; k tkuk gS%

1	संलग्न प्रारूप के अनुसार रु० 10 के स्टॉप पेपर पर उत्पादकों/व्यक्तियों/परिसंघ और क्रेताओं के बीच समझौता ज्ञापन। (layXu ik: i & 1)	
2	राजस्व विभाग द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित स्वामित्व अथवा पट्टाविलेख सहित भूमि अभिलेख (प्रमाणित कम्प्यूटराईज्ड खतौनी)	
3	कृषिकरण परियोजना के चयनित क्षेत्र का रेखांकित मानचित्र	
4	यदि भूमि लीज/अनुबन्ध पर ली है तो अनुबन्ध का प्रमाण पत्र, नोटरी से प्रमाणित।	
5	परियोजना के लिए बीज-पौध स्रोत का विवरण	
6	तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली संस्था का प्रमाण-पत्र	
7	पूर्व में जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान/राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड/राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन से कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है, इस आशय का प्रमाण शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा	
8	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के नाम का भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।	

ifj; kstuk dk vkfP; crkrs gq ml dk ifjp; , oa eq; fØ; kdyki %

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा समय-समय पर संस्थान द्वारा मांगी जाने वाली सूचनायें (भौतिक/वित्तीय आख्या) संस्थान को उपलब्ध करायी जायेंगी तथा समूह वित्तीय सहायता के उपयोगार्थ संस्थान के नियमों/शर्तों का पालन करने पर सहमत है।

fnukWd%
gLrk{kj

Lo; a l gk; rk l eug ds l nL; ka ds uke o

dz 0l a 0	Lo; a l gk; rk l eug ds l nL; ka ds uke	gLrk{kj
1		
2		
3		
4		
5		

jkVh; vk; qk fe\$ku ds vllrxr Nfkdj.k i fj; kstuk grq
 I e>k\$rk Kki u
 %nl : i ; s ds LVka i = ij½

यह समझौता ज्ञापन यहाँ प्रथम पक्ष कहे जाने वाले खरीदार/खरीदारों (पूर्ण नाम व पूरा पता).....
और द्वितीय पक्ष कहे जाने वाले कृषक समूह (पूर्ण नाम व पूरा पता).....
 के बीच (दिनांक).....को किया जाता है।

जबकि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, जो अपने स्वामित्वाधीन भूमि अथवा पट्टे पर अर्जित की गई भूमि पर औषधीय पादपों की कृषि करता है, से कृषित/उत्पादित जड़ी-बूटीयों, कच्ची औषधियों को खरीदने का इच्छुक है। जबकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर जड़ी-बूटीय पादपों का उक्त कृषि कार्य निष्पादित करने का इच्छुक है। करार विलेख के ब्योरे निम्नानुसार हैं:-

- 1- i kni @dPph I kexh ds C; kj %&
 1. कृषि की जाने वाली प्रजातियों के नाम %
 2. कृषि की जाने वाली रोपण सामग्री के स्रोत का विवरण %
 3. व्यापार किए जाने की अनुमानित मात्रा
- 2- Nf'k ds fy, {ks= dk 0; kj k %
- 3- i R; d iztkfr@ikni dh I xHkrk@dVkbz dh vu\$kfur vof/k %
- 4- I cf/kr "kr%
 1. वर्ष (वर्षों) में करार की विधिमान्यता :
 2. दोनों पक्षों द्वारा मंजूर परक्राम्य मूल्य का उल्लेख करें :
 3. विवाद, यदि कोई हो, के क्षेत्राधिकार को विनिर्दिष्ट किया जाए:
- 5- dkbz vU; I c) I puk %

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर
 गवाह 1
 (पूरे पते सहित)

गवाह 2
 (पूरे पते सहित)

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
 गवाह 1
 (पूरे पते सहित)

गवाह 2
 (पूरे पते सहित)